प्रेस नोट **21.05.2023**

एक मैजिक वाहन में क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रही तीन राशि मवेशी बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 20.05.2023 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बड़ागांव रेलवे क्रासिंग के पास से एक मैजिक वाहन यूपी 54 एटी 5690 मे क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु ले जा रहे तीन राशि मवेशी (भैस) बरामद कर दो अभियुक्त आशुतोष पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी सुकरौली थाना दोहरीघाट, उस्मान पुत्र इदरिश निवासी अतरसावा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/23 धारा 11 पशुक्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 21.05.2023 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ढाढाचवर से मु0अ0सं0 173/23 धारा 147,34,353,504, भादवि0 व धारा 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त अमिताभ पुत्र राधे राजभर निवासी ढाढाचवर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 26 व्यक्ति तथा 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 21.05.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा कृष्ण मोहन, रमेश चन्द्र निवासीगण खटिकटोला थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा श्रवण सिंह, लल्लन सिंह निवासीगण बेलौझा, चन्दन निवासी मेउडीकला, रामदेव निवासी हलधरपुर, थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राधेश्याम यादव, रामायन यादव, परमहंस निवासीगण धर्मपुर देहलू, स्वामीनाथ निवासी दिघेड़ा, सविता, प्रियंका, शीला निवासिनीगण बखरिया थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा ओमहरी, रमेश चौहान, सुधाकर, संजय निवासीगण चालीसवा, मनोज कुमार निवासी कस्बा मुहम्मदाबाद, चन्द्रभान, राजेन्द्र निवासी एकौना, मुसाफिर, शंकर निवासीगण सेहबरपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सुनिल, बलदेव निवासीगण उमती थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रमेश, अशोक निवासीगण खानपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा वारंटी अभियुक्तगण थाना कोतवाली पुलिस द्वारा राकेश पुत्र कपूरी सोनकर निवासी भीटी थाना कोतवाली तथा थाना मधुबन पुलिस द्वारा लालबहादुर पुत्र रामकिसुन निवासी सीसवा करखन्ना, तारकेश्वर उर्फ तारा चौहान पुत्र बुद्धु चौहान निवासी सीसवा बलुआ थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एच्छिक ब्यूरों के प्रयास से 06 दंपत्ति साथ साथ रहने हो हुए राजी, 52 मामलों में से 21 मामलों को हुवा निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में एच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 21.05.2023 को पुलिस लाइन मऊ के समाभाग में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के समाने कुल 52 मामले प्रस्तुत हुवे जिसमें सदस्यो के प्रयास से 21 मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रियंका/अजय, आरजू/सलमान, हसीना/शाहिद, मोहम्मद इरशाद/शमीम, रंजना/रामविनय और संजीदा/सुनील द्वारा एक दूसरे से मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को राजी हो गये। रीना/संदीप, हरिन्द्र/व्रजेश में आपसी समझौते तथा रजामन्दी के आधार पर दो पक्ष अलग हुए। एक ममले में वादी को समझाकर फाइल को बन्द किया गया। 11 मामलों में फाईल अन्य कारणों से बन्द कर दी गयी। दो मामलों में एच्छिक ब्यूरो द्वारा एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु एच्छिक ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 04.06.2023दी गयी। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, मौलवी अरशद तथा उ0नि0 आत्मा सिंह, म0आ0 पुष्पा गुप्ता तथा पूनम मौजूद रही।